

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग / राँची / मेदिनीनगर / यों
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड राँची।

राँची, दिनांक 28/06/22

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 49S27010300106 अंतर्गत 13 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रु 240.30 लाख (दो करोड़ चालीस लाख तीस हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन / 06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना	240.300

कुल आवंटित राशि - रु दो करोड़ चालीस लाख तीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट उपबंध 7585.13 लाख (पचहत्तर करोड़ पचासी लाख तेरह हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
- सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(श्वेता कुमारी)
स्थापक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव(अभि०)

9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014.-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. झारखण्ड वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2023 से पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 59

राँची, दिनांक :- 28/06/22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर/ हजारीबाग/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/देवघर/गिरिडीह/लतेहार सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 59

राँची, दिनांक :- 28/06/22

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, अंचल-2, राँची को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु. :- यथोक्त


(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव(अभि०)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

परिशिष्ट I

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं सथाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक 59 दिनांक 28/06/22 का अनुलग्नक

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	2022-2023		विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रूपये में				
		कार्यालय का नाम	विपन्न कोड	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एल0टी0सी0	49S270103001 06000112	49S270103001 06000110	देशीय यात्रा व्यय	06000213	कार्यालय व्यय	49S270103001 06000315	किराया,दरें, कर	49S270103001 06000316	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	49S270103001 06000337	49S270103001 06000334		49S270103001 06000333	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	49S270103001 06000442	विधि प्रभार
1	2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
			पूर्व का आवंटन	48,000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	49,000							
1			अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.200	0.500	0.600	0.000	0.400	0.300	0.000	0.500	0.600	0.000	3,100									
			कुल आवंटन	48,000	0.000	0.200	0.500	1,000	0.000	0.400	0.400	0.000	0.500	1,100	0.000	52,100									
2		कदवन बांध अंचल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन	91,000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.400	0.000	91,800									
			अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.650								
			अद्यतन आवंटन	91,000	0.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.100	0.100	0.000	0.000	0.800	0.000	92,450									
		आयोजन एवं मोनि0 प्रमंडल,मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	160,000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	160,550									
3			अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.400	0.200	1,000								
			अद्यतन आवंटन	160,000	0.000	0.000	0.000	0.550	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.700	0.200	161,550									
		कोनार नहर प्रमंडल, डुमरी	पूर्व का आवंटन	182,000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	182,300									
4			अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.700									
			अद्यतन आवंटन	182,000	0.000	0.000	0.000	0.450	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	183,000									
		गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	55,000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	55,600									
5			अतिरिक्त आवंटन	31,000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.300	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.400	0.000	32,500								
			अद्यतन आवंटन	86,000	0.000	0.000	0.000	0.550	0.000	0.200	0.150	0.000	0.000	0.700	0.000	88,100									
		जलपथ प्रमंडल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन	185,000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	185,600									
6			अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.400								
			अद्यतन आवंटन	185,000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.700	0.000	186,000									
		जलपथ प्रमंडल, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	325,000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	325,300									
7			अतिरिक्त आवंटन	142,400	0.000	0.200	0.200	0.500	0.300	0.000	0.200	0.050	0.000	0.500	0.400	0.200	144,750								
			अद्यतन आवंटन	467,400	0.000	0.200	0.500	0.550	0.000	0.200	0.100	0.000	0.500	0.400	0.200	470,050									
		जलपथ प्रमंडल, बरही	पूर्व का आवंटन	294,000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	294,250									
8			अतिरिक्त आवंटन	50,000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.300	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.400	0.200	51,600								
			अद्यतन आवंटन	344,000	0.000	0.000	0.500	0.550	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.400	0.200	345,850									

(प्रशांत कुमार)
सचिव

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

59
28/06/22

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2022-2023		विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें					विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	एल0टी0सी0	49S270103001 06000110	49S270103001 06000112	49S270103001 06000213	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
9	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	279.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	279.550		
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.750				
		अद्यतन आवंटन	279.000	0.000	0.000	0.550	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	280.300				
10	जलपथ प्रमंडल, रौंजी	पूर्व का आवंटन	404.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	404.300		
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600				
		अद्यतन आवंटन	404.000	0.000	0.000	0.250	0.600	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	404.900				
11	जलपथ प्रमंडल, विशुनपुर, पाटन	पूर्व का आवंटन	78.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	78.550		
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	1.000				
		अद्यतन आवंटन	78.000	0.000	0.000	0.550	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	79.550				
12	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	252.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	252.600		
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.300	1.300	0.000	0.100	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.200	2.350			
		अद्यतन आवंटन	252.000	0.000	0.000	0.550	1.300	0.000	0.100	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	254.950				
13	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, मंडल, (लातेहार) शिविर मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	172.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	172.600		
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.300	0.200	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.900				
		कुल आवंटन	172.000	0.000	0.000	0.550	0.200	0.000	0.100	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	173.500				
	अतिरिक्त आवंटन का योग		223.400	0.000	0.400	3.350	0.000	1.700	0.550	0.000	1.000	0.000	4.100	1.200	240.300				

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि- रूपए दो करोड़ चालीस लाख तीस हजार मात्र

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

22

(राजेन्द्र प्रसाद)
रूप सचिव(अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव